सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 51/2018 **दायर तारीख :–** 24.07.2018

1. बनवारी
2. जगदीश — पिता भंवरलाल — समस्त जाति अहीर निवासी तलीयारा (बागावास अहीरान) तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
3. सुलतान
4. अर्जुन
5. फूली पुत्री भंवरलाल
6. रामेश्वरी उर्फ रमली पुत्री भंवरलाल
7. भगवाना पुत्र श्योलाल
8. शान्ती देवी पत्नी जगदीश

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. चौथूराम — पिता श्योलाल, जाति अहीर निवासी तलीयारा (बागावास अहीरान) तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
2. बोदूराम
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— अप्रार्थीगण

4. रामावतार — पिता भंवरलाल जाति अहीर निवासी तलीयारा (बागावास अहीरान) तहसील विराटनगर
5. श्रवण

—— तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी एवं सीमा निर्धारण

उपस्थित : श्री आनन्दसिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री गोपाल टांक, अधिवक्ता अप्रार्थी सं॰ 1, 2
पैरोकार सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.09 16:40:42 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय *दिनांक : 04.04.2019*

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तलीयारा के खाता संख्या 99 में दर्ज खसरा नम्बर 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1826, 1829, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843 किता 24 रकबा 4.25 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 98 में दर्ज खसरा नम्बर 1790, 1811, 1816 किता 3 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खाता संख्या 43 में दर्ज खसरा नम्बर 1784, 1785, 1786, 1795, 1796 किता 5 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खाता संख्या 44 में दर्ज खसरा नम्बर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1810 किता 3 रकबा 0.41 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1762, 1812 किता 2 रकबा 1.06 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण, तरतीबी अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी भूमि रही है। प्रार्थीगण, तरतीबी अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1, 2 की आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.04.2018 से किया गया है। उक्त निर्णय के अनुसार प्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 4, 5 एवं माता सुन्दरी पत्नी भंवरलाल के हक में खसरा नम्बर 1790/0.33, 1789/0.04 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, खसरा नम्बर 1801/0.0122 हैक्टेयर उत्तरी भाग, खसरा नम्बर 1811/0.2092, 1816/0.2610, 1835/0.24 हैक्टेयर पूर्वी भाग, खसरा नम्बर 1833/0.1640, 1839/0.15, 1842/0.3188 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 1.7252 हैक्टेयर भूमि आयी है। खातेदार सुन्दरी फौत हो चुकी है एवं प्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4, 5 मृतक सुन्दरी के विधिक वारिस है। बंटवारा डिक्री दिनांक 24.04.2019 के अनुसार ही हाल खसरा नम्बर 1761/0.27 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 8 के हिस्से में एवं हाल खसरा नम्बर 1826/0.30, 1841/0.3391, 1786/0.3356, 1785/0.03, 1784/0.07, 1795/0.10, 1796/0.10, 1797/0.15 दक्षिणी भाग, 1838/0.17 पश्चिमी भाग कुल किता 9 रकबा 1.4597 हैक्टेयर भूमि चौथूराम पुत्र श्योपाल अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में आयी है एवं हाल खसरा नम्बर 1762/0.356, 1812/0.6356, 1837/0.1968, 1838/2/0.122 पूर्वी भाग, 1836/0.24, 1835/1/0.06 पश्चिमी भाग कुल किता 6 कुल रकबा 1.6104 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 7 भगवाना पुत्र श्योपाल के हिस्से में आयी है तथा हाल खसरा नम्बर 1810/0.10, 1829/0.3496, 1832/0.1108 उत्तरी भाग, 1840/0.1404, 1843/0.7012, 1788/0.17, 1798/0.14, 1789/1/0.04 उत्तरी भाग, 1797/1/0.15 उत्तरी भाग, 1831/0.038 पश्चिमी भाग, 1799/0.02 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 1.8250 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 2 बोदू पुत्र श्योपाल के हिस्से में आयी है। उक्त बंटवारे के निर्णय दिनांक 24.04.2018 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1800/0.02, 1801/1/0.0378, 1802/0.01, 1803/0.07, 1804/0.06, 1805/[illegible], 1806/0.10, 1807/0.02, 1834/0.02 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4, 5 के हिस्सा 1/4 व प्रार्थी संख्या 7 भगवाना व अप्रार्थी संख्या 1, 2 के हिस्सा 3/4 गैरमुमकीन आबादी के रूप में शामलाती एवं खसरा नम्बर 1786/1/0.0144, 1843/1/0.0288, 1842/1/0.0312, 1838/1/0.018, 1837/1/0.0332, 1833/1/0.006, 1811/1/0.0108, 1812/1/0.0444, 1762/1/0.024, 1816/1/0.039, 1841/1/0.0009, 1840/1/0.0096, 1831/1/0.012, 1829/1/0.0204, 1832/1/0.0192, 1806/1/0.02 हैक्टेयर कुल किता 16 रकबा 0.3319 हैक्टेयर भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:40:42 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हिस्सा 1/4 व प्रार्थी संख्या 7 व अप्रार्थी संख्या 1, 2 भगवाना, बोदू, चौथू हिस्सा 3/4 शामलाती गयी है। यह कि न्यायालय निर्णय एवं डिक्री की पालना में बंटवारा का खाता खोला जाकर राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में तरमीम तो कर दी गयी परन्तु मौके पर सीमा निर्धारण कर पृथक–पृथक कब्जा नहीं संभलाया गया, जिससे निर्णय एवं डिक्री की पालना पूर्ण रूप से नहीं हो पायी है। मुताबिक निर्णय एवं डिक्री सभी हिस्सेदारों के बंट में आयी भूमि की पृथक–पृथक सीमा निर्धारण करते हुए स्थायी सीमाचिन्ह पत्थरगढ़ी करवायी जानी आवश्यक है, ताकि भविष्य में पक्षकारों के मध्य गैरमुमकीन रास्ता व खेतों की सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का तनाजा नहीं हो। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम तलीयारा के खसरा नम्बर 1790, 1789, 1801, 1811, 1816, 1835, 1833, 1839, 1842, 1761, 1826, 1841, 1786, 1785, 1784, 1795, 1796, 1797, 1838, 1762, 1812, 1837, 1838/2, 1836, 1835/1, 1810, 1829, 1832, 1840, 1843, 1788, 1789/1, 1798, 1797, 1831, 1799, 1800, 1801/1, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1834, 1786/1, 1843/1, 1842/1, 1838/1, 1837/1, 1833/1, 1811/1, 1812/1, 1762/1, 1816/1, 1841/1, 1840/1, 1831/1, 1829/1, 1832/1, 1806/1 की भूमि की स्थायी सीमा निर्धारण एवं पत्थरगढ़ी मय पुलिस जाप्ता के करवायी जावे।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा नियमानुसार स्थायी सीमाचिन्ह पत्थरगढ़ी किए जाने बाबत सहमति का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 99, 138 संवत् 2073–2076, फोटोप्रति नकल निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.04.2018, आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता का मनन किया गया। ग्राम तलीयारा के खाता संख्या 99 में दर्ज खसरा नम्बर 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1826, 1829, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843 किता 24 रकबा 4.25 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 98 में दर्ज खसरा नम्बर 1790, 1811, 1816 किता 3 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खाता संख्या 43 में दर्ज खसरा नम्बर 1784, 1785, 1786, 1795, 1796 किता 5 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खाता संख्या 44 में दर्ज खसरा नम्बर 1797/0.03 हैक्टेयर, खाता संख्या 102 में दर्ज खसरा नम्बर 1788, 1798, 1810 किता 3 रकबा 0.41 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:40:42 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी भूमि रही है। प्रार्थीगण, तरतीबी अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1, 2 की आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.04.2018 से किया गया है। यह कि न्यायालय निर्णय एवं डिक्री की पालना में बंटवारा का खाता खोला जाकर राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में तरमीम तो कर दी गयी परन्तु पक्षकारान को मौके पर सीमा निर्धारण कर पृथक–पृथक कब्जा नहीं संभलाया गया, जबकि खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। मुताबिक निर्णय एवं डिक्री सभी हिस्सेदारों के बंट में आयी भूमि की पृथक–पृथक सीमा निर्धारण करते हुए स्थायी सीमाचिन्ह पत्थरगढ़ी करवायी जानी आवश्यक है, ताकि भविष्य में पक्षकारों के मध्य गैरमुमकीन रास्ता व खेतों की सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का तनाजा नहीं हो। अतः प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।

6. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं ग्राम तलीयारा के खसरा नम्बर 1790, 1789, 1801, 1811, 1816, 1835, 1833, 1839, 1842, 1761, 1826, 1841, 1786, 1785, 1784, 1795, 1796, 1797, 1838, 1762, 1812, 1837, 1838/2, 1836, 1835/1, 1810, 1829, 1832, 1840, 1843, 1788, 1789/1, 1798, 1797, 1831, 1799, 1800, 1801/1, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1834, 1786/1, 1843/1, 1842/1, 1838/1, 1837/1, 1833/1, 1811/1, 1812/1, 1762/1, 1816/1, 1841/1, 1840/1, 1831/1, 1829/1, 1832/1, 1806/1 की भूमि की स्थायी सीमा निर्धारण एवं पत्थरगढ़ी भूमि की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:40:42 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 04.04.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर